




न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी		
राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर		
किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957		
प्रार्थना-पत्र नम्बर 154 / 2021		GCMS No. 2021/181
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.04.2021	<p>राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली दिनांक 30.06.2021 को वास्ते सुनवाई/उचित आदेशार्थ पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)</p>	
30-06-2021	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। जमांबदी अनुसार खातेदार की सहमति नही होने से प्रार्थना-पत्र काबिल खारिज है। अतः प्रार्थना-पत्र सहमति के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)</p> <p style="text-align: center;"></p>	
		